संख्या 511 /8–3–17–34 विविध/08

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **विशेष सचिव,**
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।
2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉकः 05 जून, 2017

विषयः भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 61 नगर चयनित किये गये हैं, जिनमें निर्माण एवं विकास की अनेकों परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक (अमृत) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एस.एम.एम. यू/42/519(6)रिफार्म/ 2016–17 दिनांक 17.02.2017 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कार्यों की कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है, इसी क्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–421(2)/नौ–5–2017–390सा/2016, दिनांक 17.04.2017 द्वारा भारत सरकार के मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 में वर्णित ''एकल खिड़की की व्यवस्था'' जो OBPAS से सम्बन्धित है, की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त की पृष्ठभूमि में AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' के अन्तर्गत आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को भारत सरकार की अपेक्षानुसार चयनित 61 नगरों में से सर्वप्रथम मेट्रो श्रेणी के नगर क्रमशः लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आगरा में लागू किया जाना है। चयनित 61 नगरों में मेट्रो श्रेणी के नगरों सहित कुल 28 नगरों के निर्माण एवं विकास कार्यों को नियोजित करने के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित हैं तथा इन सभी में उ.प्र. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 लागू है एवं मानचित्रों के निस्तारण की प्रकिया भी एक समान ही है।

उक्त की पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि OBPAS हेतु निम्न व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाए :–

1. OBPAS लागू करने की प्रकिया में अत्यधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना है तथा प्रकियाओं का कस्टमाईजेशन भी अपेक्षित है, इसलिए इस

सिस्टम को सर्वप्रथम लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू किया जाए। दोनों प्राधिकरण में OBPAS पूर्ण रूप से लागू होने के पश्चात इसे सभी प्राधिकरणों में लागू किया जाए।

2. प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों हेतु OBPAS की व्यवस्था को तैयार करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को तात्कालिक प्रभाव से नोडल विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश (CTCP) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा देश के अन्य राज्यों में लागू इस प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार OBPAS की सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

3. OBPAS की व्यवस्था के लिए आवश्यक software को विकसित कराने एवं लागू करवाने के लिए निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:–

(i)	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह, अथवा उनके प्रतिस्थानी विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ii)	श्री अजय कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
(iii)	श्री निकुंज जौहरी, सहयुक्त नियोजक, लखनऊ/ फैजाबाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(iv)	प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित आई.टी. विशेषज्ञ अधिकारी	सदस्य
(v)	श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक सिस्टम, आवास बन्धु, लखनऊ	सदस्य
(vi)	श्री इश्तियाक अहमद, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
(vii)	श्री जे.एन. रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
(viii)	श्री एन.आर. वर्मा, सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु लखनऊ	सदस्य
(ix)	श्रीमती वन्दना सहगल, प्रधानाचार्य, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ	सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा OBPAS को विकसित करने हेतु आवश्यक software की निविदा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ जैसे–बिड डाक्यूमेन्ट, कन्सल्टेन्ट रिव्यू कमेटी (CRC) का गठन, निविदा स्वीकृति, अनुबन्ध आदि कार्य सम्पादित करेगी। कमेटी के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी विशेषज्ञो को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह कमेटी इस व्यवस्था को समस्त प्राधिकरणों में लागू कराना सुनिश्चित करेगी।

4. OBPAS पर होने वाले व्यय की पूर्ति यथासम्भव AMRUT योजनान्तर्गत की जाएगी जिसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यदि निविदा उपरान्त इस सम्पूर्ण प्रणाली को विकसित करने हेतु कुल लागत का

आंकलन भारत सरकार से AMRUT योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि का वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को किया जायेगा जिसका प्रस्ताव यथास्थिति उपरोक्त समिति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5. OBPAS की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अतः समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण इसे विकसित करने में उक्त कमेटी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ ही साथ इसे प्राधिकरण में लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) मिशन निदेशक (अमृत), उत्तर प्रदेश, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
(5) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव